न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 03 / 2021

अनवान

1. श्रीमती चांदी देवी पत्नी श्री भंवर लाल जाट निवासी–राजोला।
2. श्रीमती चांदी पत्नी श्री उदा जाट निवासी–राजोला।
3. भगवान लाल पुत्र श्री भंवर लाल जाट निवासी–राजोला।
4. सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भंवर लाल जाट निवासी–राजोला।
5. हीरा पुत्र श्री मोती जाट निवासी–राजोला।
6. श्रीमती जमनी पत्नी श्री हीरा जाट निवासी राजोला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लादू पुत्र श्री गणेश जाट निवासी–राजोला।
2. बलु पुत्र श्री लाडू जाट निवासी–राजोला।
3. म्गना पुत्र श्री मोडा जाट निवासी–राजोला।
4. काना पुत्र श्री गोपी जाट निवासी–राजोला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 23–09–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.01.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम राजोला पटवार हल्का देवील भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की (1)खाता संख्या 136 की आराजी संख्या 666 रकबा 0.0759 है0, आराजी नम्बर 667 रकबा 0.2403 है. कुल किता 02 रकबा 0.3162 है0 (2) खाता संख्या 139 की आराजी संख्या 669 रकबा 0.7208 है0 आराजी नम्बर 670 रकबा 0.2655 है0 आराजी नम्बर 674 रकबा 0.3667 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3530 है0(3) खाता संख्या 138 की आराजी संख्या 668/1 रकबा 0.0190 है0(4) खाता संख्या 134 की आराजी संख्या 671 रकबा 0.6070 है0 (5) खाता संख्या 38 की आराजी संख्या 660 रकबा 0.7081 है0 आराजी नम्बर 664 रकबा 0.5311 है. कुल किता 02 रकबा 1.2392 है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.01.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 04 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम राजोला पटवार हल्का देवील भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की (1)खाता संख्या 136 की आराजी संख्या 666 रकबा 0.0759 है0, आराजी नम्बर 667 रकबा 0.2403 है. कुल किता 02 रकबा 0.3162 है0 (2) खाता संख्या 139 की आराजी संख्या 669 रकबा 0.7208 है0 आराजी नम्बर 670 रकबा 0.2655 है0 आराजी नम्बर 674 रकबा 0.3667 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3530 है0(3) खाता संख्या 138 की आराजी संख्या 668/1 रकबा 0.0190 है0(4) खाता संख्या 134 की आराजी संख्या 671 रकबा 0.6070 है0 (5) खाता संख्या 38 की आराजी संख्या 660 रकबा 0.7081 है0 आराजी नम्बर 664 रकबा 0.5311 है. कुल किता 02 रकबा 1.2392 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1500/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested